कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि.
ESIC
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015
सत्यमेव जयते
आज़ादी का अमृत महोत्सव
क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन,राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi – 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

File No. 111-A-33/16/DPC/OT-CSR/2024/Admin-II Dated 08-05-2025

कार्यालय आदेश संख्या 127 वर्ष 2025 प्रशासन - 2

दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 05-05-2025 की अनुशंसा पर, क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली ने निम्नलिखित CSR Technician कर्मचारी को उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर Senior CSR Technician के पद व वेतन लेवल 5 के न्यूनतम वेतन 29,200/- पर नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदन दिया हैः-

S. No.	Name of the official (S/Sh/Smt/Km.)	Emp. ID	Designation	Selected Against Category	Present Place of Posting
1	Rakesh Kumar	110111	CSR Technician	UR	ESIC Hospital Sahibabad, U.P.

उपरोक्त CSR Technician कर्मचारी की Senior CSR Technician के पद पर नियमित पदोन्नति उनके द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। उपरोक्त कर्मचारी नियमित पदोन्नति के लिए अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति तुरंत प्रस्तुत करेंगें। यदि कोई कर्मचारी नियमित पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है, तो नियमानुसार पदोन्नति से इंकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उस कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

Senior CSR Technician पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनका वेतन केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली 2016 के अनुसार Senior CSR Technician पद के वेतनमान 29,200-92,300/- व ग्रेड वेतन रुपये 2800/- के अनुरूप संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में अंकित न्यूनतम रूपये 29,200/- में अथवा एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत उन्हें दिए गए पूर्व संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के अनुरूप संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल में, जो भी अधिक हो, नियमो के अंतर्गत जहां आवश्यक हो, वहां वेतन निर्धारण के पश्चात विनियमित किया जाएगा। कर्मचारी, नियम-13, केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली 2016 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नियम एफ. आर. 22(1) (ए) (i) के तहत आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं।

तथापि, यदि कोई कर्मचारी ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वितीय उन्नयन के रूप मे उपर्युक्त ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड अथवा उच्चतर वेतन के अनुरूप संशोधित वेतन एसएसमैट्रिक्स लेवल में वेतन प्राप्त कर रहे हो, तो वे उसी संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल में रहेंगे तथा उनके मामले में पदोन्नत पद पर किसी वेतन निर्धारण की आवश्यकता नही होगी।

उपर्युक्त कर्मचारियों की पदोन्नति नियमित आधार पर की गई है तथा वे समय-समय पर संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्ते) विनियम, 2023 में निर्धारित कर्मचारियों के समान वर्ग पर लागू निबंधन एवं सेवा शर्तों के अधीन रहेंगे ।.

अनुपालन रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनार्थ इस कार्यालय को यथाषीघ्र प्रेषित करे।

Digitally signed by
RAJSHEKHAR SINGH
Date: 08-05-2025

11.04.24
उप. निदेशक (प्रशासन-2)

प्रतिलिपिः-

1. संबधित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से ।

2. संबधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल (स्था-2), निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली।

3. संबधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाईल क.रा.बी. अस्पताल, झिलमिल, नोएडा, फरीदाबाद, ओखला, साहिबाबाद, बसईदारापुर, रोहिणी नई दिल्ली/ हरियाणा / U.P.

4. उप निदेशक (स्था-2), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम पंचदीप भवन, सी. आई.जी मार्ग, नई दिल्ली।

5. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल झिलमिल, नोएडा, फरीदाबाद, ओखला, साहिबाबाद, बसईदारापुर रोहिणी, नई दिल्ली/ हरियाणा / U.P.

6. निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा।

7. निजी सचिव, उप. निदेशक (प्रशा०) / अपर निदेशक (औष.)।

8. लेखा शाखा (चि.)/ रोकड़ शाखा (चि.)/स्था. शाखा (चि.)/स्था. शाखा -2 (चि.), निदेशालय (चि.) दिल्ली।

9. डी.पी.सी. शाखा 2/ सर्तकता शाखा 2. क्षे.का. दिल्ली।

10. स्था० 2 (चि.) गृह निर्माण अग्रिम/क.रा.बी. निगम (चि.) प्रशिक्षण / जी.एस.एल.आई./ वेतन निर्धारण।

11. ओ.एस.डी., आई.टी. सेल/ आईसीटी दिल्ली, कार्यालय की बेवसाईट पर दर्ज करने हेतु अनुरोध सहित।

12. अतिरिक्त प्रतियों सहित गार्ड फाईल।